मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ. 15-6/96/1/10 **भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 1997**

प्रति,

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

विषय.—शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति.

सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 21-4-97 में शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति देने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है. उक्त ज्ञापन की कंडिका-3 में यह उल्लेख किया गया है कि अभियोजन के प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग अपना अभिमत एक माह की समयावधि में विधि विभाग को उपलब्ध करायेगा. यदि इस अवधि में उनका अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो विधि विभाग बिना उनके अभिमत के अभियोजन स्वीकृति जारी कर सकेगा.

इस विषय में लोक आयुक्त संगठन द्वारा शासन के ध्यान में लाया है कि शासन के उपरोक्त स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कुछ प्रशासकीय विभागों द्वारा विधि विभाग को एक माह की समयावधि में अपने अभिमत नहीं भेजे जा रहे है और जो प्रकरण विधि विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को समस्त अभिलेख के साथ उनके अभिमत के लिये भेजे जाते हैं. प्रशासकीय विभाग द्वारा उनकी पुनः छानबीन प्रारंभ की जाती है तथा अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/संभागीय जिले कार्यालय से अभिमत प्राप्त किया जाता है. लोक आयुक्त द्वारा प्रकरणों में पूर्ण एवं विस्तृत छान-बीन के पश्चात् विभाग द्वारा पुनः छानबीन की कार्यवाही किया जाना उपयुक्त नहीं हैं.

अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासन के उपरोक्त पूर्व निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को अभियोजन से संबंधित जो प्रकरण अभिमत के लिये भेजे जाते हैं उनमें विभाग स्तर पर ही सम्यक विचार होना चाहिए. विचारोपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा अपना स्पष्ट अभिमत देते हुए प्रकरण विधि विभाग को एक माह की समयावधि में वापस कर दिया जाना चाहिए जिससे कि अभियोजन के मामलों में किसी प्रकार का विलम्ब न हो. यदि प्रशासकीय विभाग के मत में लोक आयुक्त की छानबीन में कोई तथ्य छूट गये हों या कोई कमी रह गई हो तो विभाग उसे अपने अभिमत से सम्मिलित कर सकता है किन्तु विभाग द्वारा नई छानबीन प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए.

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./
(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 15-6/96/1/10 **भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 1997**

प्रतिलिपि :

1. **प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल.**
2. **महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोक आयुक्त कार्यालय, भोपाल,**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

हस्ता./
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.